न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 136 / 2022(2022 / 510)

1. मानमल पुत्र अमोलक चन्द जाति महाजन निवासी बघेरा तहसील व थाना केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री अनुराग पाण्डेय
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14/2/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खेवट खतोनी संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1173–1183	186 189	0.60 2.77	बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता 2	कुल रकबा 3.37 है	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जो कि प्रार्थी की स्वयं की आराजी है एवं प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखने के कारण पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है। दिनांक 30.06.2022 को प्रार्थी अपनी आराजीयात पर फसल बुआई करने गये तो पडौसीयों ने कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की तथा सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी की स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 1173–1183 के खसरा संख्या 186 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा संख्या 189 रकबा 2.77 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner